रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022023-243798
CG-DL-E-22022023-243798

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]	**नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2023/फाल्गुन 3, 1944**
No. 99]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023/PHALGUNA 3, 1944**

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय

(क्षेत्र संकार्य प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 121(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, में ड्राइवर (श्रेणी 1), ड्राइवर (श्रेणी 2) और ड्राइवर (साधारण श्रेणी) पद भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग में ड्राइवर श्रेणी 1, ड्राइवर श्रेणी 2 और ड्राइवर (साधारण श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, ड्राइवर श्रेणी 1, ड्राइवर श्रेणी 2 और ड्राइवर (साधारण श्रेणी), भर्ती नियम, 2023 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **लागू होना :–** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ आदि –** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता –** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि से अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.ड्राइवर श्रेणी -1	5*(2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5, (29200-92300 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जायगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरंचना	भर्ती करने मे किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स	विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता ।

			के स्तर 4 (25500-81100 रु.) मे क्षेत्र संकार्य प्रभाग में ऐसे ड्राइवर श्रेणी 2 जिन्होने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रु.) में ऐसे ड्राइवर श्रेणी 2 और वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200 रु.) में ऐसे ड्राइवर (साधारण श्रेणी) जिन्होने 13 वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो; और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की है।	1.निदेशक(प्रशासन), क्षेत्र संकार्य प्रभाग, मुख्यालय कार्यालय -अध्यक्ष ; 2.उप निदेशक (प्रशासन), क्षेत्र संकार्य प्रभाग, मुख्यालय कार्यालय – सदस्य ; 3.वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, मुख्यालय कार्यालय - सदस्य ; 4.केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से कोई समूह 'क' अधिकारी - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. ड्राइवर श्रेणी -2	4*(2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4, (25500-81100 रु.)।	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200 रु.) में क्षेत्र संकार्य प्रभाग में कार्यरत ऐसे ड्राइवर (साधारण श्रेणी) जिन्होने उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1.निदेशक(प्रशासन), क्षेत्र संकार्य प्रभाग, मुख्यालय कार्यालय – अध्यक्ष; 2.उप निदेशक(प्रशासन), क्षेत्र संकार्य प्रभाग, मुख्यालय कार्यालय – सदस्य ; 3.वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, मुख्यालय कार्यालय - सदस्य ; 4. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से कोई समूह 'क' अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	4*(2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2, (19900-63200 रु.)।	अचयन।	25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्म-कश्मीर, राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**आवश्यक :** (i) हल्के मोटर वाहन (कार /जीप/तिपहिया वाहन) का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखना। (ii) हल्के मोटर वाहन (कार/जीप/तिपहिया वाहन) यान्त्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी, यान में छोटी-मोटी त्रुटि दूर करने में समर्थ होना चाहिए। (iii) हल्के मोटर वाहन (कार/जीप/तिपहिया वाहन) के चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। (iv) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण। **वांछनीय :** होमगार्ड/सिविल स्वय सेवकों के रूप में तीन वर्ष सेवा। **टिप्पण :** अनुभव संबंधी अहर्ताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के लिए अभ्यर्थियो के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों या पुनर्नियोजित के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति / आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा सशस्त्रबल कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन।	**प्रतिनियुक्ति / आमेलन** : क्षेत्र संकार्य प्रभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900 रु.) में ऐसे नियमित सवार हरकारा (समहू 'ग') और समहू 'ग'कर्मचारियों में से जो हल्के मोटर वाहन (कार/जीप/तिपहिया वाहन) के	विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- **मुख्यालय कार्यालय में** 1.उप निदेशक (प्रशासन), क्षेत्र संकार्य प्रभाग, मुख्यालय कार्यालय -अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

			चालन की क्षमता के निर्धारण करने के लिए चालन परीक्षा के आधार पर हल्के मोटर वाहन (कार/ जीप/तिपहिया वाहन) के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900 रु.) में नियमित आधार या नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों पर सवार हरकारा का पद धारण कर रहे ऐसे पदधारियों में से जो स्तंभ (7) में यथाउल्लिखित अर्हताएं पूरी करते हों । **सशस्त्रबल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन :** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो सेवा निवृत्त होने वाले है या एक वर्ष के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले है और विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं रखते हों , उन पर भी विचार किया जाएगा । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा, जिसमे वह सशस्त्र बल से निर्मुक्त होने वाले हैं तत्पश्चात वे पुनर्नियोजन पर बने रह सकते हैं । **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	2.वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, मुख्यालय कार्यालय - सदस्य; 3.केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से कोई अनुभाग अधिकारी पंक्ति का अधिकारी - सदस्य । **प्रादेशिक कार्यालय में** 1. राज्य राजधानी में निदेशक - अध्यक्ष; 2. राज्य राजधानी में कार्यालय प्रमुख (क्षेत्र) – सदस्य; 3. किसी स्थानीय केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से सहायक निदेशक की पंक्ति का कोई अधिकारी – सदस्य ।	

[फा. सं. ए -12018/12/2020-जेसीएम]

नवीन कुमार,अवर सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(National Sample Survey Office)

(FIELD OPERATIONS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, 14th February, 2023

G.S.R. 121(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the Field Operations Division, National Sample Survey Office, Driver (Grade I, Grade II and Ordinary Grade), Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Driver Grade - I,

Driver Grade - II and Driver (Ordinary Grade) in the Field Operations Division, National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely:-

1. **Short title and commencement**.– (1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Office, Field Operations Division, , Driver Grade - I, Driver Grade - II and Driver (Ordinary Grade), Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.– These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix**.– The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc**.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**– No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to Relax**.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving**.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1). Driver Grade – I.	5* (2023) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 5 (Rs.29200-Rs.92300).	Non-selection

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Driver Grade - II in FOD in level-4 (Rs.25500 - Rs.81100) in the pay matrix with 5 years of regular service in the grade or with a combined service of	Departmental Promotion Committee consist of:- 1. Director (Administration), Field	Not applicable.

13 years in Driver Grade - II in level-4 (Rs.25500-Rs.81100) in the pay matrix and Driver (Ordinary Grade) in level-2 (Rs.19900-Rs.63200) in the pay matrix; and have passed the trade test, specified by the Government.	Operations Division, Headquarters Office – Chairman; 2. Deputy Director (Administration), Field Operations Division, Headquarters Office – Member; 3. Senior Administrative Officer, Field Operations Division, Headquarters Office – Member; 4. A Group-A Officer from any other Ministry or Department of the Central Government Offices – Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(2). Driver Grade – II.	4* (2023) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 4 (Rs.25500-Rs.81100).	Non-selection

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Driver (Ordinary Grade) working in FOD in level-2 (Rs.19900 – Rs.63200) in the pay matrix with eight years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.	Departmental Promotion Committee consist of:- 1. Director (Administration), Field Operations Division, Headquarters Office – Chairman; 2. Deputy Director (Administration), Field Operations Division, Headquarters Office – Member; 3. Senior Administrative Officer, Field Operations Division, Headquarters Office – Member; 4. A Group-A Officer from any other Ministry or Department of the Central Government Offices – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(3). Driver (Ordinary Grade).	4* (2023) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 2 (Rs.19900-Rs.63200).	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which Employment Exchange is asked to submit names.	**Essential:-** (i) Possession of a valid driving license of Light Motor Vehicles (Car / Jeep / Three Wheeler) (ii) Knowledge of Light Motor Vehicle (Car / Jeep / Three Wheeler) mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicle). (iii) Experience of driving a Light Motor Vehicles (Car / Jeep / Three Wheeler) for at least three years. (iv) 10th pass from recognized board. **Desirable:-** Three years service as Home Guard / Civil Volunteers. **Note:** The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority. In case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed.

(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation / Absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation / re-employment.	**Deputation / Absorption:** From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group 'C' employees in level-1 (Rs.18000-Rs.56900) in the pay matrix in FOD who possess a valid driving license for Light Motor Vehicles (Cars / Jeep / Three Wheelers) on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Light Motor Vehicles (Cars / Jeep / Three Wheelers) failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees level-1 (Rs.18000-Rs.56900) in the pay matrix in Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualification as mentioned in Column (7).	Departmental Confirmation Committee consist of :- **In Headquarters Office** 1. Deputy Director (Administration), Field Operations Division, Headquarters Office – Chairman; 2. Senior Administrative Officer, Field Operations Division, Headquarters Office – Member; 3. An Officer of the rank of Section Officer from any other Central Government Office – Member.	Not applicable.

	Deputation / Re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation / Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation / absorption shall be 'Not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.	**In Regional Office** 1. Director in the State Capital – Chairman; 2. Head of Office (Region) in State Capital – Member; 3. An Officer of the rank of Assistant Director from any local Central Government Office -Member.	

[F. No.A-12018/12/2020-JCM]

NAVEEN KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.02.22 22:54:36 +05'30'